फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ....श्रीमती [illegible] शाह.... 2 वर्तमान धारित पद ....[illegible]....

3. वर्तमान वेतन ....62700 + DA.... अगली वेतनवृद्धि की तारीख. ....जुलाई '2018....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	*मकान तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23-A, हिमालया नगर [illegible], इन्दौर	आवास	—	15 लाख	विवेक शाह पति पत्नी भावना शाह [illegible]	हिमालया [illegible], इन्दौर [illegible]		—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का ठीक-ठीक निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की कालावधि के पश्चात् इस फार्म में एक विवरण प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की [illegible] विरासत में मिली या उसके स्वयं के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर [illegible] धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 18/01/2018

नाम : श्रीमती [illegible] शाह

पद : [illegible]